

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
सर्वे कॉम्प्लेक्स, दक्षिण मार्ग, सैक्टर 32-ए,
चण्डीगढ़ - 160030

Punjab, Haryana & Chandigarh GDC,
Survey Complex, Dakshin Marg, Sector - 32 A,
Chandigarh - 160030

फैक्स : 0172-2604671
भाष Telephone : 2600031, 2602607
mail : phc.gdc soi@gov.in

No. प्रशा० Adm.- 698 /37-जी-9

दिनांक- 06 फरवरी, 2023

पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र का नेमी आदेश सं० 02 दिनांक 06-02-2023


नियुक्ति:

इस कार्यालय में ग्रुप 'सी' स्थापना में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वेतन मेट्रिक्स के लेवल-4 (25500-81100) में मूल वेतन रूपये 25500/- प्रतिमाह, अन्य भत्ते सहित उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से दिनांक 28-02-2023 तक अथवा ऐसी न्यूनतम अवधि के लिए जब तक उनकी सेवाओं की आवश्यकता है, पूर्णतः अस्थाई आधार पर निम्नविवरणानुसार नियुक्ति की गई है:-

क्रम सं.	नाम व पिता का नाम	जाति/वर्ग	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	राज्य का नाम जहाँ के रहने वाले हैं।	नियुक्ति की तिथि	प्राधिकार
1	कु० पिकी सुपुत्री श्री दयानन्द	सामान्य	13-10-1994	बी. एस. सी.	हरियाणा	16-01-2023 (पूर्वाह्न)	पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी. का पत्र सं. प्रशा-09/4-ई-2-2/क्लर्क (संग्रह-2), दिनांक 16/01/2023
2.	श्री शुभम कुमार सुपुत्र श्री सुशील कुमार	सामान्य	19-01-1996	बी. एस. सी.	दिल्ली	17-01-2023 (पूर्वाह्न)	पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी. का पत्र सं. प्रशा-10/4-ई-2-2/क्लर्क (संग्रह-2), दिनांक 17/01/2023
3.	श्री अंशुल पंवार सुपुत्र श्री प्रवीन पंवार	E.W.S.	10-10-1998	बी. ए.	उत्तर प्रदेश	17-01-2023 (पूर्वाह्न)	पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी. का पत्र सं. प्रशा-11/4-ई-2-2/क्लर्क (संग्रह-2), दिनांक 17/01/2023

1. उपरोक्त कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा करा लिया गया है एवं उन्हें सरकारी सेवा के योग्य घोषित किया गया है।
2. उपरोक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के पश्चात् इनका चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सक्षम अधिकारी से कराया जायेगा और सक्षम अधिकारी से यदि प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होती है तो नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
3. आवश्यकतानुसार कर्मचारी का जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन सक्षम अधिकारी से कराया जायेगा और सक्षम अधिकारी से यदि प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होती है तो नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
4. इस मद पर होने वाला व्यय पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी. के लिए वर्ष 2022-23 के आंबटित बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का पत्र सं० स्था० 02-570/1011 (संग्रह-31) दिनांक 13-12-2022


(कुणाल श्रीधर बोरकर) कर्नल
निदेशक

पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी.

वितरण:-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी विभागीय वेबसाइट को - कृपया यह आदेश "Routine Orders & Circular" tab में प्रकाशित करें।
5. प्रभारी आदान अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु।